(ii) Forty-third Study Tour Report pertaining to Mazagaon Dock Limited; and

(iii) A statement showing action taken by Government on the recommendations contained in Chapter 1 of the Third (Action Taken) Report of the Committee on Public Undertakings (Eleventh Lok Sabha) on ONGC Setting up of Single Buoy Mooring Project."

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, kindly permit me to speak. Sir. this is regarding the Special Mentions I raised last week. The Special Mentions raised in this House during the last Session have not yet been replied to.

MR. CHAIRMAN: I will look into it.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, please give directions that Special Mentions, with a time limit, must be responded to by this Government during this Session itself.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): There is no meaning in making the Special Mentions. If for a Special Mention made in the last session, no reply has been received, no response is coming from the Ministry, what is the meaning of making it? So many directions have been given. These were not heeded to by this Government.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported suicides committed by cotton growers in Maharashtra and other parts of the Country

श्री संजय निरूपम(महाराष्ट्र)**:** सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में कपास उत्पादको द्वारा की गई आत्महत्याओं की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI AJIT SINGH): Sir, during 2002-03, a total estimated area of 68.83 lakh hectares has been sown under Kharif cotton, and it is expected to be about 75 lakh hectares, after the final estimates, including the rabi crop in some States, as compared to last year's corresponding area of 82.28 lakh hectares. The main reasons for

decreased coverage are the drought conditions prevailing in various States during this current monsoon season.

No State has, till date, reported any instance of suicides committed by the cotton growers which is linked with the prospects of cotton.

As agriculture is primarily a State subject and the Central Government assumes a supporting role, the strategy being followed by the Department of Agriculture and Cooperation for promoting cotton production includes increasing the availability of quality seeds; increasing the area under hybrid seed and providing thrust for the adoption of area specific production technology; popularisation of Integrated Pest Management and Insecticide Resistance Management methods to minimise use of chemical pesticides; increasing the irrigated area and promoting efficient use of water through dissemination of information on the use of water management techniques; and, focus on transfer of technology to farmers through field demonstrations and farmers training.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

Further, the cotton crop is covered under the National Agriculture Insurance Scheme under which the farmers, who have insured their crop, are provided compensation in accordance with the norms prescribed. In addition to this, to safeguard the interests of the cotton growers, the Central Government announces Minimum Support Prices for the procurement of cotton through the Cotton Corporation of India under the Ministry of Textiles, in all the States except Maharashtra, where the State Government undertakes procurement through the Maharashtra State Cotton Federation.

Madam, I take this opportunity to assure this House that we will not be found wanting in responding to any call for assistance from the States to mitigate the hardship, if any, being faced by the cotton growers in the country.

श्री संजय निरूपम: माननीय उपसभापति महोदया मुझे लगा था कि जो मुम्बई है, वही संवेदनहीन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी संवेदनहीन माननीय मंत्री महोदय, बैठे हूए हैं। ये स्वंय एक किसान नेता के सुपुत्र कृषि मंत्री जी इन्होंने कहा कि अभी तक किसी राज्य सरकार ने इस तरह की सूचना ही नहीं दी है। मैं सदन के पटल पर पिछले एक वर्ष में महाराष्ट्र के कपास के कितने काशकारों ने सुइसाइड किया है। आत्महत्या की, उसकी एक सूची दे रहा है हूं। महाराष्ट्र में 2002 में कुल 47 किसानों ने की कपास की अच्छी फसल नहीं हुंई

बैंको का कर्ज उनके ऊपर था महाराष्ट्र सरकार जो कोटन मोनोपली स्कीम के तहत उनसे कपास खरीदती है और वह भुगतान करती है जिससे भु गतान नहीं हो पाया इन तीन कारणों से पिछले एक वर्ष में 47 काशतकारो ने सुसाइड किया है माननीय मंत्री महोदय, मैं इन सारे काश्तकारों के नाम आपके समझ प्रस्तुत कर सकता हूं मेरे पास पूरी सूची है। इसके बाद पिछली दीवाली से लेकर अब तक विदर्भ में 9 कपास के काश्तकारों ने सुसाइड किया,यहां उनकी तस्वीर भी है । माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान सचमुच आकर्षित करना चाहता हूं कि महाराष्टट्र मे विदर्भ और मराठवाडा के 12 जिलों में पिछले कई वर्षों से कपास की खेती होती है और कपास वहां पर व्हाइट गोल्ड के तौर माना जाता है । वह गोल्ड इस समय ब्लैक गोल्ड मे परिवर्तित होता जार हा है लोगों की जिन्दगी तबाह हो रही है। कपास के जो काशतकार हैं, मैं पिछले एक वर्ष का नहीं दो वर्ष का किस्सा बताता हूं। वहां पर पिछले दो वर्ष में कपास के काश्तकारों ने सोसाइड किया है उनकी संख्या लगभग 87 है। इन 87 काश्तकारों में से 67 काश्तकार विदर्भ हैं, 21 अकेले अमरावती के हैं और बाकी सारे मराठवाडा के हैं। आज आपने ऐसा जवाब, वक्तव्य दिया कि किसी राज्य सरकार ने आपको ऐसी सूचना ही नहीं दी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है । मैं उन काश्तकारों के नाम आको सुनाता हूं जिन्होंने दिवाली के आस पास सुसाइड किया । दिवाली पर लोग खुशियां मनाते हैं,आनन्द मनाते हैं और अपनी नई जिन्दगी की शुरुआत करते हैं । ...(**व्यवधान**)...

श्री दत्ता मेघे (**महाराष्ट्र**) : महोदय, यह गलत इन्फोर्मेशन दी जारही है ।... (**व्यवधान**)...। गवर्नमेट ने सही इन्फोर्मेशन नही दी ...(**व्यवधान**)...हम भी वहां रहते हैं...(**व्यवधान**) ...इससे एक गलत इन्फोर्मेशन हमारे हाउस मे जारही है ...(**व्यवधान**) ...ऐसा हमें लग रहा है ...(**व्यवधान**) ...

श्री संजय निरुपम : इसलिए, इसलिए, ...(**व्यवधान**)

श्री प्रफुल्त पटेल (**महाराष्ट्र**): आपकी भावना से हम जुड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन आप कम से कम किसी पर दोषरोपण तो मत कीजिए।... (**व्यवधान**) ... विषय आपका है (**व्यवधान**) ...हमारा हो सकता है ...(**व्यवधान**) ...

उपसभापति : बजाय इसके कि आप एक – दुसरे से इस सिलसिले में बात चीत करें और एक – दुसरे के खिलाफ या फेवर में बोलें ।If you want, I can give you time... *(Interruptions)...*

SHRI PRAFUL PATEL : You should mention facts.

1 THE DEPUTY CHAIRMAN: I will give you an opportunity to put forth these facts. We can have the discussion on this Calling Attention Motion in a more peaceful manner.

श्री संजय निरुपम :उपसभापति महोदया, इसलिए मैं चाहूगा कि बात यहीं से शुरु की जाए । महाराष्ट्र में कपास के काश्तकारों ने सुसाइड किया, नहीं किया, इस बारे में सबसे पहले केन्द्र सरकार की तरफ से एक जांच दल तैयार किया जाना चाहिए। यह आज पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप पिछले दस पंद्रह सालों का इतिहास देखेंते तो हर – एक दो साल बाद फसल खराब होती है और वहां पर काश्तकार सुसाइड करते हैं। 1995 - 1999 के बीच जब हमारी सरकार थी, उस समय भी काश्तकारों ने सुसाइड किया था। तब सरकार का ध्यान तत्काल उस ओर आकर्षित किया गया था और सरकार की तरफ से मंत्री और अधिकारी गांव में गए थे, गांव वालों के घरों मे गए थे। उनका हालचाल पूछा था और उनके लिए तरह – तरह की सुविधाएं, तरह – तरह का मुआवजा उपलब्ध कराया था। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से पिछले एक – दो वर्षों में एक भी अधिकारी, एक भी मंत्री न तो मराठवाड़ा में और न हीं विदर्भ मे भेजा गया है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, उनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार मेरे इस प्रश्न के जवाब में, मेरे इस विषय को सदन में रखने पर प्रतिक्रिया देते हुए, अपनी तरफ से कोई जांच दल महाराष्ट्रमे भेजने की योजना बना सकती है? अगर जांज दल भेजा जा सकता है तो कब और कैसे ? हो सके तो इस बारे में मंत्री महोदय मुझे तत्काल बताने की कृपा करें।

दुसरी बात यह है कि जो आत्महत्याओं के कारण हैं, उसके तीन कारण दिख रहे हैं। मंत्री महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र में कॉटन मोनोपोली स्कीम है। वहां जो कॉटन (व्यवधान)... एक मिनट, भाई साहब, जरा सी शांति रखें ... एक्सक्यूज मी प्लीज ...महाराष्ट्र में जो कपास के काश्तकार हैं, उनसे कपास खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार खुद स्कीम चलाती है। उस स्कीम के तहत जो कॉटन के उत्पादक हैं, जो कपास के काश्तकार हैं, उनका कपास खुद सरकार खरीदती है। यह 1971 से चल रहा है। लेकिन इस साल और पिछले साल कॉटन खरीदने की जो योजना है, महाराष्टट्र सरकार की, उस योजना में ढलाई बरती जारही है। पिछले से पिछले साल जो खरीददारी हुई थी, आज तक उसका पैसा किसानों को नहीं मिला। लगभग 360 करोड़ रुपयों का जो बकाया है, जिन काश्तकोरों को उन की फसल खरीदने के बाद भी सरकार पैसा न दे, वे काश्तकार आत्महत्या के अलावा और क्या कर सकते हैं। 360 करोड़ रुपये का जो बकाया है, वह बकाया महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही है। इसका कारण जो बताया जा रहा है वह यह है कि महाराष्ट्र सरकार आर्थिक संकट में है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध मे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निवेदन आया है कि कपास के काश्तकारों को उनका बकाया देने के लिए केन्द्र सरकार महाराष्ट्र को कुछ आर्थिक मदद दें। क्या आर्थिक मदद के संदर्भ में महाराष्टट्र सरकार की तरफ से कोई निवेदन आया है?

दुसरी बात यह कि हर वर्ष दशहरे के समय विदर्भ और महाराष्ट्र में कपास की खरीदारी शुरु हो जाती है। लेकिन इस बार दशहरा क्या दीवाली के बाद तक भी खरी दारी शुरु नहीं हुई। कॉटन नोपाली स्कीम चुपचाप, बगैर किसी घोषणा के रद्द की जा चुकी है। दीवाली के आस पास 426 खरीद केन्द्र, प्रोक्योरमेंट सैंटर्स, विदर्भ में खोले जाते थे, लेकिन दीवाली के बाद सिर्फ दो केन्द्र अभी तक खोले गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत चुपके से, एक साजिश के तहत कॉटन के जो काश्तकार हैं उन्हें जो प्राइवेट खरीदार है, निजी खरीदार हैं, उनके भरोसे छोड़ दिया है। बड़े पैमाने पर निजी खरीद केन्द्र खोले गए हैं। आप पूछेंगे कि यह

आपका विषय कैसे हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने एक एम. एस. पी. तय किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया है, निजी खरीद केंद्रों से जो कपास खरीदा जा रहा है, वह आपके एम. एस.पी. से नीचे खरीदा जा रहा है। राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार द्वारा घोषित मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा कीमत देकर कपास खरीदे या कोई और कृषी उत्पाद खरीदे, तो एक अच्छी बात है। महाराष्ट्र में यह परंपरा कई वर्षों से चलती आरही है। केंद्र सरकार ने जो घोषणा की उससे स या तीस परसेंट कीमत दी गई है। इस साल, दशहरा दीवाली के बाद से जो निजी खरीदार खरीद रहें हैं उसने कॉटन का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे बीस या तीस परसेंट से कम की कीमत पर खरीदा जारहा है। क्या संदर्भ मे आपके काश्तकारों को इस तरह का आश्वावासन देना चाहेंगे कि केंद्र ने जो कम से कम मुल्य निधार्रित किया है वह मूल्य उन्हें मिले?

तीसरी बात, माननाय मंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा कि ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी मैं आपका पूरा ध्यान चाहता हूं क्योंकि सचमुच यह मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए बहुत गंभीर प्रश्न है।

अभी दीवाली के आसपास 9 आत्हमत्याएं हुई हैं। उनके नाम भी मेरे पास है। अगर किसी को एतराज न हो तो 9 के 9 नाम सुनाना चाहूंगा। श्री पदमाकर कुलमेठे – इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों इन्होंने आत्महत्या की – लच्छी राम जाध, बंडू काटकर, सुमन जाधव, भिकाजी राठोड़, मोरेश्वर ठाकरे, पुंडलिक ताडुरवार, शेषराव मेरेकर और सुखदेव लाकरें। ये सारे के सारे जो काश्तकार हैं ये कर्जदारी के बोझ से मरे हैं। आपने जो नयी टेक्नालाजी की बात बतायी, उन्होंने एक उम्मीद रखी कि इस नयी टेक्नालाजी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कपास आएगी। एक एकड में 12 क्विटल कपास उत्पादन का उनको एक ख्याब दिखाया गया लेकिन 2-3 क्विटल से ज्यादा नहीं हुई। अब जो उनको फसल उगानी थी, उसके लिए उन्होंने बैंकों से ऋण लिया था। ये सारे के सारे 9 नाम जो मैंने बताए, इन सारे काश्तकारों के उपर 30 से 60 हजार रुपए के आस पास बैंक का लोन था। इनकी फसल पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई, इसकी वजह से बैंकों का ऋण नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में बैंक उन पर दबाव डाल रहे हैं बैंक उनको प्रताड़ित कर रहें हैं और उन बैंक कि प्रताड़ना की वजह से ऐसे 9 काश्तकारों ने अभी दीवाली के आसपास यवतमाल और अमरवती से सुसाइड किया। माननीय मंत्री जी से में यह जानना चाहूंगा कि क्या आप बतौर केद्रीय कृषि मंत्री वित्त मंत्रालय से बात करते हैं हुए माहराष्ट्र के सहकारी बैंको को ऐसा कोई निर्देश दिलवा सकते हैं कि आज कपास की स्थिति पर किसान संकट में है, उन को संकट से बचाने के लिए, उनके संकट में उनको सहूलियत देने के लिए तत्काल फिलहाल किसी भी तरह की जोर जबर्दस्ती न की जाए और हो सके तो कर्ज माफी की जाए? अगर कर्ज माफी न हो पाए कम से कम भुगतान की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। बैंको की जो एक प्रताड़ना चल रही हैं, उस प्रताड़ना के ऊपर मैं माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उसके संदर्भ में आपकी तरफ से एक समाधान चाहूंगा।

चौथा जो महत्वपूर्ण मामला है वह यह है कि विदर्भ और मराठवाड़ा में जल का जो स्तर है वह नीचे जा रहा है। नयी टेक्नालाजी आ रही है इसके बावजूद जो फसले पहले होती थीं वे फसल उस तरह से नहीं हो पा रही है । इसका बहुत बड़ा कारण काटन कारपोरेशन आफ

इंडिया की भूमिका है। काटन कांरपोरेशन आफ इंडिया कि तरह से जिस तरह से आर, एण्ड.डी. की जानी चाहिए, जिस तरह से कपास के लिए शोध और विकास के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए उतने अपेक्षित तरीके से नहीं चलाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या काटन कारपोरेशन आफ इंडिया के पूरे कामकाज की एक रिपोर्ट आप हासिल करेंगे और उस रिपोर्ट के बाद काटन करपोरेशन आफ इंडिया की ज्यादा अच्छी भूमिका वदर्भ और मराठवाड़ा के कपास के काश्तकारो को सुख पहुंचाने में हो, क्या ऐसा कोई निर्णय आप ले सकते हैं? धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, according to the convention, and the Rule Book, I am allowing..*(Interruptions)*... Not straightaway. When your turn comes, I will call you.

The thing is, the first speaker has taken his time, but, to finish this Calling-Attention in one hour, the rest of the speakers will have to put only questions. So, I will give only three or four minutes to each Member; not more than that.

श्री संजय निरूपमः मैंने तो अपना वक्तव्य निर्धारित समय में पूरा किया है।

आपने अपने निर्धारित समय में पूरा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चेयर के साथ इतना कोआपरेट कर रहे हैं। मगर बाकियों को भी आपके कदमों पर चलना चाहिए। बोलिए पृथ्वीराज जी।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN (Maharashtra): Madam, you have put a ceiling on time. But, I think, I need a minute or two...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am giving you a minute or two.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: ...to first correct the misinformation which the hon. Member has given to the House. Madam, death of farmers is a tragic event, under any circumstances. Given the policies of the Central Government, the entire farming community in the whole country is facing a grave crisis. There have been deaths in the whole of the country. But the nine suicide cases that the hon. Member referred to, have been completely and thoroughly investigated by the Maharashtra Government. There have been suicides, but they are not of cotton farmers. None of them have gone to the Government procurement centres. *(Interruptions)* They are not cotton farmers... *[Interruptions)*...

उपसभापतिः अभी आपने ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपमः अभी तक कोई इंक्वायरी की ही नहीं है...(**व्यवधान**)...

उपसभापतिः अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: A complete enquiry has been done. I appeal to the hon. Member... *(Interruptions)*...

श्री संजय निरूपमः माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह सच नहीं है...(**व्यवधान**)...

उपसभापतिः अभी आप इतनी अच्छी बात कर रहे थे...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपमः इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि सचमूच इन्होंने क्यों सूसाइड किया।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Madam, I appeal to the hon. Member...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just one minute संजय जी, आप अपनी बात हाउस में रख चुके हैं। अब वे अपनी बात रख रहे हैं। जवाब देने का काम मंत्री जी का है। आप जब मंत्री जी बनेगे तो मैं आपको जरूर एलाऊ करूंगी। आप बन जाइए...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपमः अगर वह मेरी बात को कांट्रेडिक्ट कर रहे हैं तो मैं अपना पक्ष रखुंगा।...(**व्यवधान**)...

श्री पृथ्वीराज चव्हाणः मैडम मंत्री जी ने कहा कि किसी भी कॉटन फार्मर का सूसाइड केस उन के नोटिस में नहीं आया।...(**व्यवधान**)...

श्री अजीत सिंहः मैडम, ये एक दुसरे को जवाब दे रहे हैं। अच्छा होता मैं जवाब दे दूं और फिर कोई सवाल हो तो पूछे। यह अच्छा रहेगा।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: Madam, the fact remains that these suicide deaths have been thoroughly investigated by the Maharashtra Government. They were not cotton farmers. They had not come to the monopoly cotton procurement centres which the Government of Maharashtra runs. ...*{Interruptions)*... Madam, first of all, I think the Minister has given an erroneous information in his statement. My information is this. In paragraph 5 of the statement, the Minister says that the Cotton Corporation of India, Ministry of Textiles, procures cotton from all the States, except Maharashtra. I think the Minister doesn't have the current information. The Maharashtra Cotton Monopoly Scheme has been amended

and now the Maharashtra Government has permitted the Cotton Corporation of India also to procure cotton from Maharashtra. Not only that, the Monopoly Cotton Federation has given 201 licences. I think the statement of the Minister needs to be corrected.

Madam, I would like to say that the grave crisis in the agriculture sector of the country is because of non-remunerative prices. That is the key issue. I want to know from the Minister whether it is a fact that the Government of Maharashtra has written to the hon. Minister for increasing the import duty on cotton so that the imported cotton does not land in the country and the prices of cotton don't get suppressed. That is the real issue. The Government has kept the prices of imported cotton very, very low under the pressure of cotton mills. That is why farmers are not getting remunerative prices for their produce. Fortunately, this year, also the Maharashtra Government is running the Cotton Monopoly Scheme. It is not wound up. It is completely wrong to say that the Maharashtra Cotton Monopoly Scheme is wound up. The Maharashtra Cotton Monopoly Scheme will continue support operations. .As long as the prices are higher in the market, they can go to the private traders and other agencies of the Cotton Corporation. But the Maharashtra Government will intervene when the prices go below the Minimum Support Price. At the same time, I request the hon. Minister... *(Interruptions)*...

श्री संजय निरूपमः मैडम, कितने प्रोक्योरमेट सेंटर्स खोले गए, यह बता दे। ...(**व्यवधान**)... वहां चार सौ, साढ़े सौ सेटर्स खोले जाने थे, कितने खोले गए ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please. I am not allowing you. ...*(Interruptions)*... I am not permitting you. Don't make it... *(Interruptions)* Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN: I appeal to the hon. Member not to politicise this issue. ...*(Interruptions)*...

उपसभापतिः आप बैठ जाइए। देखिए, संजय जी, पनी बात बोल चुके ...(**व्यवधान**)... सच वह बोलेंगे, आप बैठ जाइए। अगर आपके पास कोई इनफॉर्मेशन हो तो मंत्री जी को दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर कॉटन के मसले को आप सीरियसली लेना चाहते हैं तो हाउस को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप उस में एड करिए। I am not allowing. ...*(Interruptions)*... I am not allowing.

श्री पृथ्वीराज चव्हाणः क्या मंत्री जी गलत इनफॉर्मेशन दे रहे हैं।Madam, my question to the Minister is, whether the Government is going to increase the support price of cotton. The Government has not increased the Minimum Support Price of cotton this year. There has been a demand for increasing the Minimum Support Price of cotton. What is the Government doing to increase the Minimum Support Price of cotton? Sir, I also beseech you to please increase the import duty on cotton; otherwise, the entire cotton farming is going to collapse.

श्री संघ प्रिय गौतम(उत्तरांचल)**:** उपसभापति महोदय, मैं सीधे बुनियादी सवाल कर रहा हूं। महाराष्ट्र में और देश के दूसरे हिस्सों में ऐसे कितने किसान है जो केवल कपास की खेती करते हैं**और** कोई दूसरी फसल नहीं बोते? दूसरे यदि वे यही फसल बोते हैं तो क्या उन में से किसी ने आत्म हत्या की है और की है तो उस का ब्यौरा क्या है? नंबर तीन सवाल यदि कपास के ही किसान ने जो अकेली कपास फसल बोता था, आत्महत्या की है तो उसके इन कारणों में कौन सा कारण रहा है?

THE DEPUTY'CHAIRMAN: Let me explain why the Minister is going out. He is going because there is voting in the Lok Sabha on the Constitution Amendment Bill and he has to go to cast his vote. He will come back. Till he comes, the other Minister will take down notes.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Madam, shall I continue?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you can continue.

श्री संघ प्रिय गौतमः महोदया, मैं बुनियादी बात करता हूँ, कोई हवाई बात नहीं करता। मेरा नंबर तीन सवाल यह है कि क्या इन कारणों में से किसी अकेले कपास बोने वाले किसान ने आत्महत्या की है कि लागत ज्यादा लगी हो और उसका उसे खरीद मूल्य न मिला हो या कम मिला हो या यदि लागत भी सही लगी हो और फसल नष्ट हो गई हो या यदि लागत भी सही लगी हो और फसल भी नष्ट न हुई हो, लेकिन जिनको कपास बेची उन्होंने पैसा न दिया हो?

महोदया, मैं विशेषकर यह बताना चाहता हूँ कि आजादी के बाद और आजादी से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब करीब सभी किसान कपास बोते थे, लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी किसान नहीं बो रहा है। मंत्री महोदय, से मैं इस संबंध में पूछना चाहूंगा कि क्या यह भी सही है कि कपास कि खेती दिन प्रति दिन कम होती जा रही है? मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि जब किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अन्य क्षेत्रों में कपास बोते थे तो उपभोक्ता क्षेत्र में उसकी 75 प्रतिशित कपास की मांग होती थी । कपास से घर घर में चरखी से लोग रूई ओटते थे बिनौला भैंस को खिलाते थे, जिससे घी ज्यादा होता था। घर घर में चरखे से रूई की कताई का काम होता था।

उपसभापतिः आप कृपया सवाल पूछ लीजिए क्योंकि यह तो सबको मालूम है कि क्या होता था।

श्री संघ प्रिय गौतमः महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक इस देश में कपास की उपभोक्ता क्षेत्र में खपत नहीं बढ़ेगी। इसकी खपत ज्यादा ऐसे बढ़ेगी कि घरों में चरखी चलें, चरखे चले गांव में धुना रूई धुने और उससे कपड़ा बने। उस कपडे को हम पहनें। खादी जो ए0सी0का काम करती है, एअर कंडीशन का काम करती है, आज उस खादी को कोई तो पहन नहीं रहा।

महोदया, मंत्री महोदय, से मैं यह जानना चाहूंगा कि जो हमारी यह पूरानी, पुश्तैनी धरोहर थी, क्या आप उस कपास की खेती है उसके उपयोग को पुनः स्थापित करेंगे? मेरे यही मोटे मोटे सवाल हैं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri C. Ramachandraiah. Is cotton grown in your State?

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Yes, Madam. This is a subject which was discussed in this House earlier also. I will directly come to the main points because I do not want to take much time of the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please put direct questions.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: It is true that the maximum suicide deaths that are taking place in the farming community are from the cotton growers, especially from Maharashtra, Andhra Pradesh and Gujarat, which are the main cotton growing States. The basic problem is, low quality of seeds and spurious' pesticides are being supplied to the farmers. Till now, no foolproof mechanism has been developed so that quality pesticides are supplied to the farmers. I am not exaggerating when I say that even the farmers, who are in distress, are not prepared to consume those pesticides to commit suicide because of their low quality. This kind of pesticides are being supplied to the farmers throughout the country. Till now, the Government has not initiated any action to control this.

The second aspect is this. I wanted to cover the wider aspect of the problem. We have been growing more of cotton than the demand and we do not have the core competence to compete in the international market. As I said yesterday, we have removed the quantitative restrictions. We have allowed products to come to India from other countries. We do not have the core competence to compete with those products either in

terms of prices, or in terms of quality. So, these are the basic problems that are being faced by us. We could not pick up the indigenous demand also. As a result, more than 60 per cent of our spinning mills have closed down, and rest are on the verge of closure. The Lakshmi Mills, which once used to be the pride of the nation, is in doldrums, now. I need not tell the story of the National Textiles Corporations. The solution lies in improving the productivity, especially in cotton crop. If I disclose the data - that is also a controversy -- in a website I found that the average production of India in 2001-02 was 293 kg. per hectare; but the hon. Minister, in his reply, has given a figure of 191 kg. per hectare. In India, the average cotton production per hectare is 191 Kgs.; in United States, it is 708 Kgs.; in China, it is 1089 Kgs.; in Egypt, it is 980 Kgs.; and in Pakistan, it is 610 Kgs. So, unless you improve the productivity, they will not be much benefited. They will not be in a position.to compete with other products. That is why the extent of area, that is being used for cotton cultivation, is going down. That means, we are throwing people, the farming community, out of this particular profession to the other sectors. So, my two basic questions are: What is the Government contemplating to increase the productivity of cotton? What mechanism is the Government developing to suggest the alternative crops in black cotton soil? Most of the farmers, who have black cotton soil, go only for cotton cultivation. They are not aware of the alternative crops that can be grown in this kind of soil. The State Agricultural Extension Centres, throughout the country, are not guiding the farmers properly. We have got a number of research centres and research institutes. But no institute has served the purpose of the farmers, in respect of having some alternative crops. The third aspect on which I would like to seek reply from the Government is, what is the mechanism you would like to have to...*{Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please put pointed questions.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Okay, Madam. I am directly coming to the question. The cotton prices are low, spinning mills are on the verge of closure, and the prices of cotton clothes are very high. This is a dichotomy that the Government has to solve. Thank you, Madam.

उपसभापति: श्री अवनि राय। नहीं हैं, ओ0के0। श्री आर0एस0 गवई। आप केवल सवाल पूछ लीजिएगा, आप तो खुद चेयर पर रह चूके हैं।

श्री आर.एस गवई(महाराष्ट्र)**:** मैं खाली सवाल ही पूछूंगा।

उपसभापति महोदया, आप तो महाराष्ट्र से आती हैं और आपको अवगत है कि महाराष्ट्र शासन की एक काश्तकार वेलफेयर स्कीम थी, जो 1972 से अब तक लगातार चल रही है। 1972 से लेकर 1994 तक इस योजना में नफा हुआ, प्राफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ, लेकिन 1994 से 2002 में अभी जो घाटा दिखाया जा रहा है, तो इसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव जांच होनी चाहिए कि 1972 से 1994 तक अगर यह स्कीम लगातार प्राफिट में रही है तो 1994 से 2002 तक के 8 साल में इस स्कीम में घाटा क्यों हुआ?

दूसरे पूरे स्टेट में कॉटन ग्रोइंग कोई इरिगेटिव फार्मिग नहीं है ड्राई फार्मिग है, और इसलिए एक वेलफेयर सरकार को उनको सपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपोर्ट प्राइस है, उसके अलावा ज्यादा कीमत देना, यह वेलफेयर सरकार का कर्त्तव्य होता है, जिसे महाराष्ट्र सरकार अभी तक निभा रही है महोदया, इस सदन में मेरी प्रार्थना है कि अभी भी महाराष्ट्र गावर्नमेंट यह स्कीम बंद करने के लिए न सोचे। मोनोपली परचेज स्कीम जारी रहनी चाहिए क्योंकि यह काश्तकारों कि लिए एक वैलफेयर स्कीम है। मैं इस बारे में दो सुझाव देकर अपना बयान समाप्त करूंगा। एक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अधिकतर there is capital amount to the tune of 3 per cent, and fluctuation amount to the tune of 2.25 per cent; यह अभी तक वसूल किया हैअगर 2,000 करोड़ रुपये की निधी मौजूदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यह स्कीम चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

महोदया, मेरी दूसरी विनती यह है किI don't want to enter into the controversy of Western Maharashtra and Vidharbha, because fact is a fact.जो वस्तुस्थिति है, वह यह है कि सरकार ने चीनी की खरीद करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 60 परसेंट बढ़ाई है। protect the sugar industry, the Government has provided a subsidy of Rs. 1000/- per tonne on sugar, and a subsidy of_Rs. 1256/-has been given for transportation. The protection given to the sugar industry should be extended to the cotton farmers also. At the outset, cotton cultivation is the only source of livelihood for the farmers of Vidharbha. I again appeal to the Government that the requests made by the people should be thoroughly enquired into, and full justice should be meted out to the cultivators of Vidharbha, Marathwada and Khandesh.

उपसभापतिः श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी, आप बोलिए। आपकी सीट कहां हैं?

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक(हरियाणा)**:** महोदया, हम तो छोटे-मोटे दल हैं, जब चाहें इधर, जब चाहे उधर। आपकी कृपा बनी रहे।

उपसभापतिः मेरी कृपा तो बनी रहेगी, चाहे आप कहीं भी बैठे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अपनी जगह से बोलना चाहिए।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः महोदया, आपने मुझे कपास जैसे ज्वलंत विषय पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदया, कपास ही नहीं, इस देश का किसान आज हर जगह तबाह है।खेती के लिए जमीन, बीज, तकनीक की अवश्यकता है, खाद की अवश्यकता है। कपास ऐसी खेती है जिसमें पानी की ज्यादा जरुरत होती है लेकिन बीज के मामले में जो केन्द्र सरकार का दायित्व बनता था कि वे किसानों को बीज की जानकारी उपलब्ध कराती परंतु आज पूरे हिन्दुस्तान में कपास का किसान बरबादी के कगार पर हैं जब कि कपास ऐसा महत्वपूर्ण उत्पाद था, जिससे कपड़ा बनता और हर नागरिक को उसकी आवश्यकता थी। हमारे यहां कृषि विभाग की तरफ से न तो किसान को सही तकनीक की जानकारी दी जारही है, न ही उन्हेंअच्छी प्रजातियों के बीज खरीदने के लिए प्रेरित किया जारहा है। सत्तय बात तो यह है कि आज जब किसान कपास की अपनी फसल बोता है तो उचित तरीके से न बोने कारण,सही बीज का चुनाव न करने कारण, उसकी फसल पर जब रोग आता है तो वह खड़ी फसल को या तो जोत देता है या उसे जलाने का काम करता है। जिनकी यह जिम्मदारी थी, उन्होने किसानों के लिए कुछ नही किया। इसी मुल्क में Bt . Cotton के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई। मैं पूरी जिम्मदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होने उसके पेरेटल सीड का उल्लेख नहीं किया और Bt. Cotton का 20 रुपए किलो का बिनौला 200 रुपए किलों तक बेचने की अनुमति दे दी गई। हमारी केनद्रिय सरकार ने इस पर अपने किसी दायित्व का निर्वाह नहीं किया। माननीय आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि डा0 के0रेणुगोपाल, डा0 ओ0एम0 बमबाले, डा0 जोगेंद्र सिंह, डा0 मोंग के नेतृत्व में जो केन्द्र जांच दल बना था जिसकी रिपोर्ट 21 दिसम्बर, 2001 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपी जाचुकी है। इस रिपार्ट का क्या हुआ और उस रिपोर्ट को क्यों नहीं पूरे रुप से स्वीकार किया गया, बल्कि सत्यता तो यह है कि उस रिपोर्ट के केवल सुझाव न0- 18 को जो निजी कम्पनियों के हित में था, निजी बीज उत्पादक कम्पनियों के हित मे था उसे स्वीकार किया गया। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहते हुए यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसमे भ्रष्टाचार हआ है, करोड़ो किसानों के साथ एक धांधली हुई है। बीटी कॉटन के मामले में भी मैं ने इसी सम्मानित सदन में पहले भी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाया था । मैं विचलित होने वाला आदमी नहीं हूं , चाहे कितना ही विचलित करने का प्रयास किया जाए। मैं खुद झेलूंगा परन्तु पूरी जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं । बीटी . कॉटन के मामले में ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गन्ना किसान के साथ मिल करके छल किया गया है. गन्ना किसानों को छला गया है , उनको लूटा गया है उसी प्रकार बीटी.कॉटन के मामले में 20 रुपए किलो के बिनौले को 200 रुपए किलो का बीज बात करके बेचने की अनुमति दी गई । अनुमति के पीछे भी भ्रष्टाचार की गंध आती है। माननीया .मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि उसी रिपोर्ट का सुझाव नं0-5 बुवाई के सही समय के संबंध में था । सुझाव नं06 और सुझाव नं0-3 तथा सुझाव नं0-6 जिसमें उत्तरी जोन के राज्यों में केवल तीन प्रजातियो की परफार्मेस के आधार पर बोने की संस्तुति की गई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई । माननीया मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि उक्त तीनो प्रजातियो को बॉयोसीड के 68 ,69 अंकुर .651 तथा व्हाइट गोल्ड का बीज इसलिए बाजार में उपलब्ध नहीं होता क्योंकि वह आप कम्पनियों के लिए लाभ का सौदा नहीं रह गया है क्योंकि बाजार में इनके बीज का भाव 30 रुपए किलोहैं। दुसरी ओर बीटी , कॉटन के नाम पर या दुसरे ऐसे बीज के नाम पर जो निजी कम्पनियों को अनुमति दी गई थी 200 रुपए किलो तक का बीज खरीदने के लिए किसानों

को मजबूर करते हैं और उसके बाद उसकी फसल तबाह हो जाती है और वह फसल को जोत देते हैं या फसल को जला देता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी चाहता हूं और यह जानना भी चाहता हूं कि क्या कारण है कि कपास उत्पादन के कारणों में कारण नं0 -4 मैं साफ लिखा था कि ज्यादा नाइट्रोजन की वजह से अमेरिकन बार बार लगता है और सुझाव नं0-9 और 10 में यह साफ किखा है कि पेस्टिसाइड के डीलर और कम्पनियों के निजी लाभ के चलते सिंथेटिक को बना रही है तथा किसानो को कृषि विभाग की मदद से बेच रही हैं। माननीय मंत्री जी.मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर निजी कम्पनियों को किसानों के हित से कब तक खेलने की अनुमति दी जाएगी? मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि किसानों को सही तकनीक देने में कोई वित्तीय संसाधन खर्च नहीं होते । किसान को केवल यह बताना है कि आपको अच्छे पौध से स्वस्थ पौध से एक बीज चुन करके , कपास चुन करके बीज बना करके बिजाई करनी चाहिए । उसको सही तकनीक से बिजाई करने की जरूरत होनी चाहिए । पर सरकार का ADD FROM ORINGINAL DEBATE काम करना है? कभी-कभी यह लगता है कि सरकार का जो मंत्रालय है जिसकी जिम्मेदारी बे बोलते किसान के हित देखने की थी। किसान का ध्यान रखने की थी इस हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए कपड़े की उपलब्धता का ध्यान रखने की थी जब्कि उसकी जिम्मेदारी आज केवल निजि बीज उत्पादक कम्पनियों के एजेट के रूप में काम करने की हो गई है। ...(समय की घंटी)...

आपने घंटी बजा दी , डर लगता है । बहुत-बहुत धन्यवाद। मैने जो बाते कही है उनकीज जांच क ले कृपा होगी। हालांकि मैं जानता हू कि दोबारा इसमें फिर मेरे ऊपर कुछ होगा . पर मैं उसकी परवाह नहीं करता ।जो बात है मैं साफ कहुंगा।

उपसभापति: बिल्कुल जब जवाब देगे तब मैं आपका प्रोटक्शन करुंगी SHRI CO. POULOSE (Kerala): Madam, Deputy Chairman, earlier, the total area under cotton cultivation was about ten million hectares. Now it has come down to something like six million hectares. Besides this, the productivity level has also come down. It is stagnating at 300 kilograms per hectare, while the world average is about 560 kilograms per hectare. Recently, the other day, in response to a question put in the Lok Sabha, it was mentioned that the productivity level has come down to 190 kilograms per hectare.

Pest attacks are on the increase due to which farmers are compelled to burn all their produce. The Cotton Committee, headed by the Commissioner (Cotton) is calculating the required amount of cotton, every year as if there has been a surplus position.

Madam, the international price of cotton is also going down. The report of the *Hindu Business Review* of March says, "After the commercial

production of cotton has started, this year the cotton price in the international market is *a*\ the bottom low." Madam, not only that, after the Textile Policy of 1985, the use of multi-fibres was allowed. The man-made fibre was increasingly used, and hence the necessity of cotton was subsided. Now. for weaving and producing of yarn, only 60 per cent of cotton is consumed. So, cotton is in surplus. Due to the combined effect of all these things, the price of cotton is going down and down. To help farmers, it has been said that the Cotton Corporation of India is going to purchase cotton from anywhere. But the experience of the peasantry has been that the CCI is not present anywhere to purchase their cotton. So, everywhere, in the cotton producing States, the agricultural population is in distress. The need of the hour is that the Government should come forward to have a uniform policy to procure cotton from market and help the peasantry. Not only that, in Maharashtra, there is a particular scheme, and that particular scheme should be operative throughout the State. I request the Centre Government to come forward and extend all the help that is needed by the Maharashtra Government for a complete and monopoly procurement of cotton from farmers. That is all I wanted to say. Thank you, Madam.

उपसभापति: श्री जनेश्वर मिश्र। मिश्र जी आप तो बहुत अनुभवी हैं। आप खाली सवाल पूछ लीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र (**उत्तर प्रदेश**): उपसभापति महोदया मैं दो-तीन सवाल बहुत ही कम समय में पूछूंगा। मैडम इस सवाल को महाराष्ट्र का मुद्दा बना दिया गया है। वास्तव में यह किसानों का मुद्दा है। मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा और किसानों के बारे में कोई तकरीर नहीं दूगा। माननीय अजीत सिंह दी हमसे काबिल आदमी हैं और इनके पिता तो हमसे कई गुणा काबिल आदमी थे, इन्होंने कुछ जवाब दिया है।

मैडम, मैं इस प्रश्न की सीमा जानता हूं। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि कृषि राज्य का विषय है। इधर केन्द्र मे चलन चल पड़ा है, हम लोग पंचायत में बैठे हैं आजकल कृषि ही नही, बिजली पानी यहां तक की आतंकवाद भी अब राज्य का विषय हो रहा है और इसकी ओर इशारा होने लगा है। अजीब तरह की प्रवृत्ति चल रही है कि हम यहां पर अब देश की किसी भी घटना के बारे में ठीक से बहस नहीं कर रहे हैं। अगर यह राज्य का विषय है तो यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री से बरस होनी चाहिए थी। मैं सब कुछ सदन में सुनता रहता हूं। मैंने सुबह सदन में सुना था और भी कई बार सुना था क्या जरूरत है? लेकिन कृषि मंत्री जी ने कहा है कि अब तक किसी राज्य सरकार से कपास उत्पादको के आत्महत्या करनें की सुचना नहीं मिली है जो कपास मामले से संबंधित हो। यदि किसान आत्महत्या करता है और यह अखबार में छप जाता है या मीडिया में आ जाता है किसान सबका अन्नदाता है, सबको बचाने वाला है, थोड़ी देर के लिए हम बिना कपड़े के रह सकते हैं. थोड़ी देर के लिए बिना

सीमेट के रह सकते हैं, पार्लियामेंट बंद हो जायेगी तो भी जी सकते हैं, लेकिन रोटी नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं सकते हैं। हमें किसान रोटी देता है। जब उसकी आत्महत्या की खबर आती है तो एक बार यह चिन्ता सभी वर्ग के लोगों के हो जाती है कि यह क्या हो गया? हमारा अन्नदाता मर रहा है। कृषि मंत्री जी यह सच है कि आपको राज्य सरकारे रिपोर्ट देगी। लेकिन जब अखबारों में या मीडिया में इस तरह की कोई सूचना आये तो क्या आपका मंत्रालय इस तरह का प्रावधान करेगा, होम मिनिस्ट्री से मिल कर के या किसी भी एजेंसी के जरिए कि वहां जाकर के खुद पता करे कि किसान ने आत्महत्या की है या नहीं कि है ? चूंकि आपने यह जवाब दिया हैं. इसलिए दूसरी लाइन जो आपने लिख दी जो "कपास के मामले से संबुद्ध हो"। यानी गन्ने के मामले में किसी ने आत्महत्या की हो तो इस लाइन को लिखकर आप बच गये। तिलहन के मामले में किसी ने आत्महत्या की हो तो इस लाइ को लिखकर आप बच गये। आखिर मैं लिख दिया" जो कपास के मामले से संबद्ध हो।" इसलिए मैं कहना चाहूगा कि क्या दूसरी पैदावार करने वाले किसानों ने कही आत्महत्या की है? यह लाइ पढ़ने के बाद मेरे मन में यह शक उठा क्योंकि ऐसा आपने इसमें लिखा है। महोदया इन्हीं के जवाब में है कि "भारतीय कपास निगम के माध्यम से महाराष्ट्र के सिवाय सभी राज्यों ने कपास की खरीद हेतु न्युनतम समर्थन मुल्य घोषित कर दिया है।" यह महाराष्ट्र के लिए न्युनतम समर्थन मूल्य क्यों है? अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार और जगह से ज्यादा दाम कपास किसानों को देती है इसलिए महाराष्ट्र को अगला से यह समर्थन मुल्य के लिए महाराष्ट्र राज्य कपास संघ के माध्यम से अपना एक गुट बनाना पड़ा है। अगर वह ज्यादा मूल्य जेती है तो केन्द्र सरकार भी उसी मूल्य के मुताबिक दुसरे राज्यों के कपास उत्पादकों को क्यों नहीं मुल्य देती? अगर महाराष्ट्र की सरकार बहुत बढ़िया सरकार है और वह ज्यादा मुल्य देती है तो केंद्र सरकार को उसे फालो करना चाहिए था। यह तो उनके जवाब से ही पैदा हुए कुछ सवाल है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सच यह कि कपास उत्पादक, तम्बाकू उत्पादक, गन्ना, उत्पादक, तिल्हन उत्पादक, ये कैश क्राप का उत्पादन करते हैं और थोड़ी उत्तेजाना में रहते हैं। अभी अजीत सिंह जी के इलाके में किसानों ने यातायात जाम किया। मजिस्ट्रेट लोगों को गरिफ्तार कर लेता है, गन्ना किसान, क्योंकि वह सीधे पैसा लेना चाहता है। सूखे का असर अगर गेहूं चावल या दाल पैदा करने वाले किसान पर होता है वह उत्तेजना में नहीं आता है वह खाद्यान्न करता है लेकिन जो कैश क्राप वाला किसान है, वह उत्तेजना आता है और उत्तेजाना मे अगर वह सड़क जाम करता है, गोली खाता है तो कभी – कभी ज़हर भी खोलता है। दोनों किसानों के बारे में आप को समग्र दृष्टि से सोचना पड़ेगा और इसका इंतजाम करना पड़ेगा। इन्होने लिखा है कि "कपास उत्पादको के लिए बीमा योजना का भी प्रावधान है। "मैं जानना चाहूंगा कि सूखे के कारण जो कपास उत्पादको का नुकसान हो गया, आप वित्त मंत्रालय से जानकारी प्राप्त कीजिए कि बीमा कम्पनी ने किसानों को बीमे का भुगतान किया है। यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री दत्ता मेघे: माननीय उपसभापति महोदया, मैं माननीय निरुपम जी का, जिन्होंने कपास का मुद्दा उपस्थित किया है, स्वागत करता हूं। महोदया महाराष्ट्र के अंदर सन 72 से कॉटन मॉनोपोली स्कीम हर साल चल रही थी। पहले बहुत साल तक उसमें फायदा हुआ लेकिन चार – पांच साल से उसमें घाटा हो रहा है। यह जो घाटा हो रहा है, उसमें किसान का कोई दोष नही है। जो भी स्कीम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या जो भ्रष्टाचार है, वह उसके लिए

जिम्मेदार हैं लेकिन आज हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा कि पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर जो पुरानी मानोपोली स्कीम थी, वह बंद करने की कोशिश की है। क्यों की है? वह पहली बार जो आपका केन्द्र सरकार का मिनिमम प्राइस है, वह दे रही है। इससे पहले केन्द्र सरकार के प्राइस से ज्यादा प्राइस महाराष्ट्र सरकार दे रही थी और उसमें मुनाफा भी मिल रहा था। लेकिन इस साल वह कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार अपना मिनिमम प्राइस बढाए। अगर संभव है तो बढा दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि केन्द्र सरकार अगर मिनिमम प्राइस बढाती है तो हम वह तुरंत देने को तैयार हैं। इसलिए यह सवाल है कि आप एक बार मिनिमम प्राइस बढा दीजिए और जो किसानों का पैसा महाराष्ट्र सरकार के पास है, जो हमारे साथी ने कहा है, ऐसे समय में जबकि वहां अकाल है, वह किसानो को देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आज के मुख्यमंत्री जी ने सभी लोगों की मीटिंग बुलाई। चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इंदिरा कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, पूरे देश में जो कपास का उत्पादन करने वाले लोग हैं, वहां के सभी जनप्रतिनिधि कपास उत्पादक के साथ हैं। और हम चाहते हैं क्योंकि कपास का उत्पादन खर्च बहुत आरहा है, कपास की कीमत नहीं मिल रही है। आज दुर्भाग्य से महाराष्ट्र का जो किसान है, उसके घर में कपास है और जो हमारे व्यापारी लोग कपास खरीदना चाह रहे हैं, बहुत कम दाम दे रहे हैं। इसलिए यह जो एक अधिकार योजना महाराष्ट्र मे अच्छी चल रही थी, केन्द्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि वह उस स्कीम के लिए महाराष्ट्र सरकार की मदद करें, एक बात यह है।

दुसरी बात यह है कि जो हमारे पृथ्वीराज चव्हाण जी ने कही है, केन्द्र सरकार जो कपास आयत करा ही है, घटिया कपास आयात करा ही है, वह बंद करे और आयात करना है तो उसके उपर टैक्स लगाईए। जैसे आपने शुगर के मामले में 60 परसेंट टैक्स लगाया है, इस बारे मे जो घटिया कपास हम करोड़ों रुपए का अपने देश में लाते हैं, वह सस्ता कपास जब आता है तो हमारे कपास का कोई खरीदार नहीं रहता। तो यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है और हमारे अजीत सिंह जी किसानों के नेता हैं और यह नेताओं की जिम्मेदारी होती है। इस वक्त आप इस पोजिशन में हैं कि पूरे महाराष्ट्र के किसान ...(व्यवधान)...

श्री एकनाथ के ठाकूर(महाराष्ट्र): महोदया, सम्मानित सदस्य विदर्भ से हैं, मंत्री भी रहे है, उनसे पूछे कि क्या वहां पर वाकयी में आत्महत्या हुआई है कपासके किसानों की?

श्री दत्ता मेघे: मैं आ रहा हूं उसी विषय पर। तो ये दो बाते भी अगर हमारे अजीत सिंह जी ने कि तो हमारे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। आज भारत सरकार अड़चन में ज़रूर है लेकिन इसके पहले भी आत्महत्याएं नहीं हुई, ऐसी बात रही है। लेकिन यह तो साफ बात है और इसके इनक्वायरी हुई थी। जब आप लोगों ने जाहिर बात कि तो हमने मुख्य मंत्री जी से कहा कि आप इसके इन्क्वायारि कीजिए लेकिन जो नाम आपने दिए हैं, वे इनसे संबंधित होगे, मुझे मालूम नहीं है लेकिन सरकार का यह कहना है कि कपास के किसानों कि आत्महत्याएं नहीं हुई है कोई बीमार हो गया, किसी ने ज्यादा दारू पी ली और कुछ ऐसे भी लोग उसमें हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जैसा आपने कहा कि जांच कि जाएं और जांच में यदि सही निकले तो उसके ऊपर जरूर को सब मिल रहा है। लेकिन हमारा कहना है कि विदर्भ में लोग दम तोड़ रहे हैं तो विदर्भ दे दीजिए। उत्तरांचल दे दिया लेकिन विदर्भ तो ऐसे नहीं देगे लेकिन हर मामले में चाहे

1.00 p.m.

वह विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, खानदेश हो, आज कपास का किसान बहुत मुश्किल में है। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप अइए नागपुर में, वहां बड़ा संशोधन केंद्र है। करोड़ो रूपए खर्चा करते हैं नागपूर में लेकिन क्या हो रहा है? कौन से कपास के किसान को वह मदद मिल रही है? मैं तो कहूंगा कि अजीत सिंह जी विदर्भ मराठवाड़ा में आइए। वहां के लोगों कि तकलीफ देखिए और केन्द्र की ओर से कुछ करोड़ रूपयों की सहायता कीजिए। वहां अकाल भी पड़ा है, यदि आप थोड़ी मदद भी करेगें तो आज का किसान जो बहुत तकलीफ में है, उसको बहुत मदद हो सकेगी और हो सकता है कि आगे जो किसान आत्महत्या करने वाले हैं, वे आत्महत्या न करे। इसलिए मैं अजीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि इसका आप ख्याल रखें। हमारे मुख्य मंत्री जी ने आज ही मीटिंग बुलाई है लेकिन हम तो यहां हैं। हमारा तो कहना है को कपास को यह बहुत अच्छी योजना है। वह तो किसानों को ही मालिक होना था लेकिन बंद करने का जो काम हो रहा है,वह नहीं होना चाहिए और कपास का जो किसान है, उसको मदद होनी चाहिए और जो पैसा उसे मिलने चाहिए वह उसे मिलेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज किसान जिस तकलीफ में है, निरूपम जी, आप भी विदर्भ से आते हैं, हम तो कहते हैं आप इधर आ जाइए, इधर रहेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। अजीत सिह जी, यदि आप पंद्रह दिन के अंदर कभी आ जाएंगे तो इसका हल हो जाएगा। थोड़ी मदद आप महाराष्ट्र सरकार के मुख्य मंत्री को करेंगे तो यह जो किसनों की योजना है, जो बहुत अच्छी योजना है, वह कामयाब होगी, ऐसा लगता मुझे है धन्यवाद।

"SHRI R. KAMARAJ (Tamil Nadu): Madam, Deputy Chairperson. I thank you for giving me this opportunity to speak on the Calling Attention on the plight of cotton growers m the country. I wish to make a few points on behalf of AIADMK. We trumpet about green revolution and the achievenment of self-sufficiency in food grain production. We keep saying that our farmers are the backbone of our country. But unfortunately the backbone of our farmers has been broken by indebtedness and utter poverty. The plight of farmers who grow cotton is far worse. The cotton growers who produce cotton so that we may wear clothes, do not have sufficient clothes for themselves. Such is their condition. Many schemes were launched and new National Agriculture Policy was announced. But the farmers still live in misery. I would request the Hon'ble Minister to tell the House whether these schemes and policy did any good to the farmers.

Madam, it is said that India stands third in cotton production in the world. Yet, while the world average of per hectare cotton yield is 650 kgs.,

* English translation of the original speech delivered in Tamil.

the same .in India is just 300 kgs. When the yield is less than half of the world average, what profit our cotton growers can earn. I hope the Hon'ble Minister.will explain the reasons for this low yield. Cotton requirement of Tamil Nadu is 60 lakh bales. However the production is only 4.5 lakh bales. Farmers are afraid of growing cotton seeing the hardships faced by the growers. That is why the Government of Tamil Nadu has taken several measures to help cotton growers and increase cotton production in the State. Under the Chairmanship of the Secretary of Agriculture, the State Cotton Council has been setup to look into the problems of cotton growers and to promote cotton farming. Before 1991, cotton was grown in less than two lakh hectares in Tamil Nadu. But during the period between 1991-1996, many steps were taken to increase the acreage of cotton farming.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You please put your question. If you have any problem relating to the cotton growers in your State, you please raise that point.

SHRI R. KAMARAJ: Yes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to take the sense of the House whether we finish the Calling attention and then adjourn for lunch.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, we can skip the lunch and finish the calling attention.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have to finish it. I have only three speakers, and then the reply of the Minister.

SHRI R. KAMARAJ: Madam, Now cotton is grown in about 3 lakh hectares in Tamil Nadu. That is 1 lakh hectare more than the previous acreage. Since the resources of the States are limited, I request the Government to provide financial assistance to the States to help the cotton growers. The Centre has allowed the BT cotton in the country. The cost of the seeds of this variety of cotton is very high. I request the Hon'ble Minister to kindly consider giving 50% subsidy to farmers for buying BT cottonseeds. Now subsidy is given only for varieties that are less than ten years old. This should be extended to all the varieties. Then only all the cotton growers will be benefited. The Hon'ble Prime Minister has announced moratorium on the loans to farmers. This will not provide

permanent relief to farmers. Therefore I request the Hon'ble Minister to provide adequate funds to the States where cotton is grown. Thank you Madam.

श्री राजीव रंजन सिहं 'ललन'(बिहार): मैडम यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि इस कृषि प्रधान देश में किसानों कि आत्महत्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। यह सही है कि यह समस्या सिर्फ कपास के किसानों की ही नहीं बल्किइस देश के अन्य किसानों की भी समस्या है। इसका मुख्य कारण है कि जो ऋण किसानों को मिलते है, है, जिन ऋणों के आधार पर किसान खेती करते हैं, जब फसल का उत्पादन नहीं होता है तो वे ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं होते हैं।और सरकार का ड्ण्डा भी चलता हैं तब जब वे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहते हैं कि किसानों को जो ऋण दिए जा रहे हैं? क्या सरकार उन की वसूली की शर्तों को कुछ सरल रखने का विचार रखती है?

मेरा दुसरा यह प्रश्न है कि जो ऋण देने की परंपरा है, यह परंपरा बड़े किसानों के लिए है। अठारह प्रतिशत किसानों को जो ऋण दिए जाने का जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य कि प्राप्ति नहीं कर पाते हैं इसमें भी जो प्राप्ति होती वह सिर्फ बड़े किसानों को होती है किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है, उसमें जो शर्तें लगाई गई है, वे शर्ते इतनी सख्त हैं कि लघु और सीमांत किसान उस परिधि में नहीं आते हैं। इस देश में 70 प्रतिशत लघु और सीमांत किसान हैं हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या किसान क्रेडिट कार्ड और ऋण देने की जो परंपरा है, उस पर वित्त मंत्रालय या कोई अन्य मंत्रालय से पहले करके उसकी जो परिधि और शर्तें हैं, उन शर्तों में कोई सरलीकरण करना चाहता है ताकि सीमांत और लघु किसान उससे लाभान्वित हो सके।

मेरा तीसरा प्रश्न बी.टी.कॉटन के विषय में हैं इस देश में बी.टी. कॉटन की नई टैक्नोलॉजी आई है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र में विशेषकर ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में बी.टी. कॉटन के बारे में सरकार की जो सूचना थी, उस सूचना का कहना था कि इसका उत्पादन वर्तमान के उत्पादन से ...(**व्यवधान**)...

उपसभापिः गुजरात में ज्यादा हैं बी.टी. कॉटन का उत्पादन गुजरात में ज्यादा है।

श्री राजीव रंजन सिंह"ललन": मैडम महोराष्ट्र में भी ज्यादा है। बीटी कॉटन का जो उत्पादन है, उसके बारे में यह प्रचार था कि कपास का जो उत्पादन है यह उससे पांच-छह गुणा ज्यादा उत्पादन होगा। लेकिन यह उत्पादन उस आशा के अनुरुप नहीं हुआ। अभी हमने देखा है कि पंजावराव देशमुख एक कृषि विश्वविद्यालय है इसके अधीन नागपुर में एक आनन्दवन एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहां के डीन ने इस बी.टी. कॉटन के उत्पादन पर प्रयोग किया और प्रयोग किया और प्रयोग के बाद उनका यह कहना यह कहना है कि जो उत्पादन बताया गया है। यह उसके अनुरूप नहीं है। जब उसके अनुरूप नही है लेकिन इसके आधार पर किसान आशा करके जितना लोन लेता है। और उस लोन को चुकता नहीं कर पाता तो स्थिति आत्महत्या करने जैसी होती है, वे इसके लिए बाध्य होते हैं। वह इस के लिए बाध्य होते हैं।

तीसरी बात जो मैं बी.टी. कॉटन के बारे में जानना चाहूंगा वह यह की हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी ने जब बी.टी. कॉटन के उत्पादन की अनुमति दी तो उन्होंने यह शर्त लगाई थी कि इसका प्रभाव स्वास्थ पर भी पड़ता है। इस फसल के उत्पादन के लिए कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हम आपके माध्मय से सरकार से जानना चाहते हैं कि बी.टी. कॉटन के उत्पादन के साथ सावधानी बरतने की जो सलाह एप्रूवल कमेटी ने दी थी क्या उसके अनूरूप सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसमें हम किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षित करें कि आप यह सावद्यानी बरते तभी यह सफल होगा।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Madam Deputy Chairperson, the calling attention brought before us for discussion is not confined to the Ministry of Agriculture alone; the spread is more. The hon. Minister of Agriculture should not feel that we are going into other areas also. Madam, cotton production has been affected because the fact that, within a quinquennium, the production area has declined by 6 lakh hectares from 91 lakh hectares to 85 lakh hectares; and, in the same period, that is, between 1996-97 and 2000-01, the average production, per hectare, has come down to 191 kg from 265 kg. Earlier, it was called the white gold. Now, it has actually become the darkest thing of our nation. Consequently, Tamil Nadu is also affected. The area come down to 1.93 lakh hectares from 2.52 lakh hectares. My feeling is, the Ministry of Agriculture alone can't do it. But they have to take some initiative for solving the problem. The important issue is regarding MSP, and procurement by the Government. If we go through the replies to Q.No. 1766 dated 2nd August, 2002, and Q.No. 2082 dated 22"n March, 2002, what we understand is that, in the last 5 months, the Cotton Corporation of India has purchased only one-lakh-and-forty-thousand bales. This is the information we have got from the reply given by the Government itself. This is the situation. What is the remedy? The remedy is different in nature. Madam, import duty has been enhanced from 5% to 10%. I would like to know whether the Government would come forward to enhance the import duty further, taking into consideration the WTO limit. Now, under the WTO limit, how much more import duty can we impose? You look into this, and, if possible, raise the import duty so as to curb the cotton imports. Would the Government do it? This is my first point

In the case of sugar, you are providing free transportation from the production area to the port. I would like to know whether the^ame kind of facility would be provided for cotton exports also. This is my second question.

Madam, my third question is regarding subsidy. According to the Tenth Plan, the Government has decided to enhance the subsidy for distribution of seeds, bio-agents, sprayers, drip irrigation system, etc. than what was provided in the Ninth Plan. I would like to know whether the Government has already started implementing it or whether it is going to implement it. What is the present status? If it has not been done so far, I want to know from the hon. Minister, from when and how he is going -to implement this, and whether there is going to be any modification.

My fourth question is related to yarn production. I hail from a State which accounts for nearly 70-75 per cent of the total production of yarn in the whole country. Our yarn production has been affected. We are producing only 5-7 per cent of cotton that is required for producing yarn. The problem is regarding yarn. The excise duty on yarn was only 5 per cent. But there is 15 per cent additional excise duty over and above the excise duty. It has been raised by the Finance Ministry from 5 per cent to 8 per cent. Further 15 per cent additional duty means, the effective duty on yam has been raised from 5.75 per cent to 9.2 per cent. I want to know from the hon. Minister whether he would approach his friend in the Cabinet to see that the excise duty on yarn is reduced to 4%. Then only the problem can be solved. Otherwise, you cannot alone solve the problems of the cotton growers.

Another point is this. As regards the Modernisation Scheme, there are certain problems. When the mills are affected, automatically the cotton merchants and the cotton growers are also affected. I would tell you how the mills are affected. It may be a sensitive issue. But I have to tell you the fact. An amount of Rs.25,000 crores was allocated for the Modernisation Scheme. But, what is the ground reality? Despite this Modernisation Scheme, when the textile mills approach the banks, the banks stipulate, "If you have shown profit for the last three consecutive years, we will give you the loan for modernisation". I don't know whether the rules are framed in consonance with the requirements. If they are able to show profit for three years continuously, why should they approach the banks? When the mills approach the banks, they put stipulations like this. This is the issue. South India is particularly affected. The people in the South feel that they are being neglected and discriminated. This kind of a message should not go to the South. Therefore, I request the hon. Minister to approach the concerned Ministers, make a request and get the required amount for modernisation of the textile mills. The Government must see to it that it is

disbursed, as per the announcement made in this august House. If you don't look into these things and take necessary steps, you cannot solve the problem. The point is this. Unless we solve these problems and give some sort of subsidies, raw cotton cannot be exported. I expect a reply from the hon. Minister to these questions. With these words, I conclude. Thank you.

श्री गया सिंह (बिहार)**:** धन्यवाद मैडम, मैं सिर्फ दो, तीन सवाल करूंगा क्योंकि सभी बाते आ गयी हैं, लेकिन किसानों का सवाल खाली बातों से हल नहीं होगा।

उपसभापति महोदय, नेशनल इंशयोरेंस की बात आई है। मेरा सुझाव है कि इसे मान ले तो यह किसानों के बड़े हित में होगा। मैडम, मैंने पिछले कई सालों में कई जगह, गंगानगर इलाके में देखा है, महाराष्ट्र की बात सुनी है आंध्रप्रदेश की बात सूनी है, गुजरात की बात कल टेलिविजन पर सुन रहा था टेलिविजन पर गुजरात के किसान चिल्ला रहे थे। तो आप वित्त मंत्री जी से बात करे कि ऐसे किसानों को जो ऋण दिए जाते हैं उसके साथ इंश्योरेंस की शर्त भी रख दे क्योंकि सारे किसान इंश्योरेंस नहीं करा पाते या उन का इंश्योरेस नहीं हो पाता है। अगर लोन के साथ ही इंश्योरेस भी हो जाए तो एक गारंटी उस की होगी अगर उन की फसल मारी जाएगी तो कम से कम उन्हें ऋण में सहूलियत मिलेगी। मैडम, दूसरा सवाल यह है कि मंत्री जी हाउस को बता दे कि पिछले साल हमारे देश में रूई का कितना इंपोर्ट हुआ और हमारे देश का टोटल उत्पादन कितना है? मैडम, कई माननीय सदस्यो ने कहा है कि आप वित्त मंत्री से बात करें कि आप अगले बजट में बाहर से आने वाली रूई पर ड्यूटी बढ़वा सके तो हमारे किसानों को लाभ हो सकता है। इस संबंध में मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे?

श्री पृथ्वीराज चव्हाण: अभी बढ़वा दें।

श्री गया सिंह: तब तो यह सरकार धन्यवाद की पात्र होगी। अगर बजट में भी कर दे तो बहुत बात होगी।

मैडम, मेरा आखिरी सवाल यह है कि किसानों को दवाई मिल रही है, वह बहुत ही घटिया किस्म की है। दो नंबर कि दवाई है। तो क्या आप के मंत्रालय ने इस संबंध में कोई मॉनीटरिंग की है? जहां कपास कि खेती करने वाले किसान हैं, उन की फसल का नुकसान कीटाणु मारने वाली दवाई के कारण भी हुआ है। तो क्या आप ने इस संबंध में कोई एक्शन लेने का प्रावधान किया है? अगर किया है और जांच में अगर कुछ मिला है तो ऐसी कंपनीज को ब्लैक-लिस्ट किया जाय। मैडम, मैं जहां जहां भी गया हूं किसानों ने बताया है कि इस दवाई से कोई लाभ नहीं हुआ है उल्टे हमारी रूई कि फसल खराब हो गयी हैं। लेकिन इसके संबंध में आपके मंत्रालय ने कोई पहल की है। अगर की है, तो उसका रिजल्ट क्या है? धन्यवाद, महोदय।

डा.रमेन्द्र कुमार यादव"रवि": सम्मनीय महोदया, कपास की समस्या पर सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट किया गया है, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि किसानों की त्रासदी को किसान बनकर ही अनुभूत किया जा सकता है। मैं स्वयं एक किसान हूँ,

खेती करता हूं और कदाचित खेती ही आधार है इस देश का, किसी भी देश का चाहें वह विकसित देश हो या अविकसित देश हो या विकासशील देश हो। एक किसान का कहना है-

दुख ही जीवन की कथा रही,
क्या कहूं जो अब तक नहीं कही।

महोदया मैं किसानों की यह त्रासदी एक अंत दीर्घकालीन व्यथा-कथा है और इस माननीय सदन में इस पर पहले भी चर्चा होती रही है। एक बार प्रसाद जी से पूछा गया की आप अपना परिचय दें। तो उन्होंने कहा-

जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई।
दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बहसने आई।

महोदया, बहुत सारी सलाह मंत्रणाएं माननीय सदस्यो ने यहां दी हैं। मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा इसलिए कि मैं इस पर अंतिम बोलने वाला हूं और मेरा नाम पहले से लिस्ट में नहीं था मैं सिर्फ माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसान चाहे वह गन्ना उत्पादक हो चाहे तम्बाकू उत्पादक हो,दलहन, तिलहन, गेंहूं या धान पैदा करने वाला हो या कपास उत्पादक हो, सबकी अपनी समस्याएं हैं। अभी सदन का ध्यान कपास उत्पादक की समस्या पर केन्द्रित है। मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वह पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, फसल बीमा की समस्या हो या यहां से जो आयात किए जाते हैं उनके आयात नियंत्रित होने की बात हो, इनका दूरगामी प्रभाव भारतीय किसानों पर ही पड़ता है। जहां तक प्रारंभ मे संजय निरुपम जी ने जो मुद्दा उठाया था और इधर से पृथ्वी राज चव्हाण जी जो कुछ कहा, सही मायने मे यह केवल महाराष्ट्र या विदर्भ की समस्या नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे भी कपास बोई जाती थी, यह समस्या सारे देश की समस्या है। महाराष्टट्र की कपास की खेती देश – विदेश मे भेजी जाती है, देश मे सभी खरीदते हैं, इसलिए यह देश की समस्या है, इसलिए इसको न परसनाइज किया जाना चाहिए और न पोलिटिकलाइज किया जाना चाहिए। इस माननीय सदन से जो माननीय सदस्य ओफेन्सिव ओर डिफ़ेन्सिव थे, उनकी इतनी जानकारी नही है, लिहाजा मैं यह कहने की जुर्म कर रहा हूं।

महोदया, मैं वह कहना चाहता हूं कि अगर कपास उत्पादको खेती मारी जाती है तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसकी उसकी खरीद सरकार करे। इस पर समर्थन मुल्य की जो चर्चा सदन मे हुई उसको वाजिब समर्थन मुल्य मिलना चाहिए। मुझे माननीय सदन मे कृषि पर चर्चा मे भाग लेने का कई बार अवसर मिला है। सरकार को कपास की खेती का लागत मुल्य ध्यान से रखना चाहिए। दूसरा, राजीव ललन जी ने जिसकी चर्चा की कि जो बीटी कॉटन बीज है, उसके उपयोग और प्रयोग सो अमरिकन वॉल वर्म हो जाता है, जिससे दो तीन वर्ष तक फसल आती है और उसके बाद उसका दूरगामी प्रभाव बुरा होता है, डा0 शिवा जी ने और शरद जी, जैसे वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो कहा कि इसका पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसकी जांच दो- तीन वर्षों मे होती है। इसलिए इस बीटी कॉटन बीज के दूरगामी प्रभाव और जैसा दूसरे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 20/- रुपए का बीज 200/- रुपए में बेचा जाता है, जो कद्राचित निजी कम्पनियों को लाभन्वित करने के लिए ही यह उपक्रम और उपाय किए जाते हैं। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

महोदया, मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि अगर अमरीका वाला बीज आप किसानों को देते हैं तो कल को अगर बहुराष्ट्रीय कंम्पनियों के मद्देनजर उसको वह पेटेण्ट, कर देते हैं तो वह बीज खरीदने पर हम बाध्य हो जाएंगे। यूं भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कारण, आर्थिक उदारीकरण के कारण, डब्लूटीओ के कारण जो मुल्क पर आफत आने वाली है या जो उससे दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं, उससे मुल्क में बेरोजगारी बढेगी, लधु उद्योगे, कुटीर उद्योग घटेगे हथकरघा उद्दोग घटेगे। आत्महत्याओ की जहां तक बात है, हो सकता है कपास के कारण न की हो। कल यहां पर उत्तर प्रदेश के सारे किसान सांसद अपने हाथों मे गन्ना ले कर आए थे, लेकिन उनको आने नही दिया गया। वहां उनको गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी खरीदारी नही हो रही है।

अंत में एक और विनती करना चाहूंगा कि लघु किसान और सीमांत किसान को ऋण का लाभ नहीं मिलता है, उसको उसकी भी गारंटी हो। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

कृषि मंत्री (श्री अजीत सिंह): मेडम डिप्टी चेयरपरसन कॉनटन फारमर्स के बारे में जो सुसाइड कि रिपोर्टस आई है, उसके बारे में आज यह बहस हैं। सही बात तो यह है कि ऐसी रिपोर्ट कई सालों से आती रही है कि फारमर्स ने सुसाइड किया है और उसके पीछे नकली बीज़ नकली कीटनाशक दवाएं, कई बार फसल का उचित मूल्य न मिलना और कई बार किसान जो साहूकारों से हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेता है। ये उसके कारण रहे हैं। यह चिंता का विषय है और जब भी ऐसी रिपोर्ट आती है। सरकार उनकी जानकारी लेती है।

आज का जो कालिंग अटेशन मोशन था वह महाराष्ट्र से जो रिपोर्टस आई है कि वहां कुछ कॉटन फारमर्स ने सुसाइड किए उसके बारे में था। यह भी जनरली सही है कि सुसाइड फारमर्स करते हैं और उनमें कॉटन फारमर्स ज्यादा करते हैं क्योंकि वे ज्यादा गरीब फारमर्स है और कॉटन फारमिग में पेस्टिसाइडस का इस्तेमाल बहुत होता है। और इस बार जो रिपोर्टस आई है महाराष्ट्र से इसमें 9 केस यवतमाल से और 5 के अमरावती से है। यवतमाल कि रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रैस से आई थी और बाकी और सूत्रों से रिपोर्ट मिली है। हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इंक्वायरी का है और कलेक्टर से मालूम किया है। उसमें यह कॉटन के फारमर्स की परेशानियों कि वजह से नहीं है, उसमे हमको इशके और कारण बताए गए हैं। यह भी सत्य है कि देश में किसान जो सुसाइड होत हैं। एक बात और कारणों से भी सुसाइड करते हैं और भी है कि इस बार जो सुसाइड कि रिपोर्टस आई हैं, ये जून और नवम्बर के बीच में आई है। जून मे तो कॉटन की बुवाई ही होती है। और इसलिए फसल कैसी रही, कीटनाशक कैसा था, यह मालूम नहीं है और इसलिए उस कारण से यह नहीं हुई हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपम: पिछले साल का पेमेंट उनको नहीं मिला, यह इसकी वजह से हैं, मैं इसे म्लेरिफाई कर दूं।

उपसभापति: आप क्लेरिफिकेशन मत दीजिए, मंत्री जी देंगे।

श्री संजय निरूपमः मैं जस्टिफिकेशन नही दे रहा हूं, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं कि इन लोगों ने इसलिए किया कि दो साल से उन्हें पेमेंट नहीं मिल रहा है।

श्री पृथ्वी राज चव्हाणः इनमें से किसी ने कॉटन...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Don't argue please. चव्हाण जी आप भी बैठ जाइए I also said, "Let him clarify". I did not say, "Justification". You can see the record. Let him clarify it. He is the Minister. So, let him say what he has to say. You have raised certain issues. Let him answer.

श्री पृथ्वी राज चव्हाणः इनमें से किसी ने कॉटन...(**व्यवधान**)...

श्री अजीत सिंहः जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट आए तो चिंता का विषय है और मैं माननीय सदस्य की चिंता समझ सकता हूं। हमने जो रिपोर्ट मंगाई है उसके अनूसार इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन जो इस बार कॉटन कि फसल है या परेशानियां है, उससे नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्य से बारी करूगा कि अगर वे चाहते हैं कि इसके किसी और तारि के से चैंक किया जाए तो उसमे हमको कोई ऐतराज नहीं है, वह भी हम करा लेंगे।

श्री संजय निरूपमः केटेगॉरिकली बताइए कि केन्द्र सरकार का कोई जांच दल आप भेजना चाहेगे इस पूरे मामले की छान-बीन करने के लिए?

श्री अजीत सिंहः अगर कोई भी रिपोर्ट आए कि मृत्यु हुई है और हम जांच दल भेज दे, ऐसी कोई जनरल पॉलिसी नहीं हो सकती है मैंने कहा कि मैं माननीय सदस्य से बात करूंगा जिससे कि वह भी सेटिस्फाई हो। हम यह चाहते हैं कि इस बार में किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। तो हम उनसे

बात करके उनकी सेटिस्फेक्शन के अनूसार करेंगे और अगर वे कहेंगे कि टीम भेजनी ही है तो मैं विश्वास करता हूं कि इसमें न महाराष्ट्र सरकार को कोई आपत्ति होगी और न उन माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति होगी। तो मैं आपसे बात करके जरूर इसमें ।...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपमः आपको बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका सिर्फ आश्वासन चाहिए कि आप वहां भेजेगे, सैंट्रल टीम चाहिए पूरे मामले की जांच करने कि लिए अब बंद कमरे में यह बात करने का क्या अर्थ है?

उपसभापतिः मंत्री जी आप मत बात कीजिएगा।

श्री अजीत सिंहः मैं बिना बात किए हुए, आज जो यहां बहस हो रही है। और सदस्यों ने जो सवाल उठाया है, इसको ध्यान में रखते हुए इस बारे मे जल्द ही कोई निर्णय करूंगा और उचित कदम उठाऊंगा।

जहां तक पिक्योरमेंट का सवाल हैं, महाराष्ट्र...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधान(महाराष्ट्र)**:** मैडम,...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing any disturbance. Please, Shri Satish Pradhan, you are a very senior leader. Please sit down. Let him finish.

श्री संजय निरूपमः मैडम, यह गोलमोल जवाब पाने के लिए हमने कॉलिंग अटैंशन नही दिया है। ...(**व्यवधान**)... जवाब एकदम स्पैसिफिक होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He has not finished. This is the procedure in the House. Take your seat. मंत्री जी आधा जवाब दे पाए हो और उनके ऊपर आप यह आरोप लगा दे कि उन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया तो यह ठीक नहीं है।अगर उन्होंने मुझसे य़ह कहा होता की हमने जवाब समाप्त कर दिया है तो यह ठीक होता, तब तो मैं आपका दुःख समझ पाती। अभी तो वे बोल ही रहे हैं; वे क्या बोल रहे हैं, अगर आपको उनका दिमाग पढ़ने की महारथ है तो मुझे नहीं है। want to hear what he has to say. I have been sitting here and listening to everybody बोलिए मंत्री जी, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए मेरी रूलिंग के बाद बात खत्म हो गई, मंत्री जी को बोलने दीजिए, आप बाद में बोलिएगा, अभी मत बोलिए। Let. him answer first, you don't understand. मराठी में बोलूं? मंत्री जी को बोलने तो दीजिए।

श्री सतीश प्रधानः उन्होने जो बात कहीं है उसके लिए जरा ऐडिशनल इन्फॉरेमेशन देने की आवश्यकता है ताकि वे जांच ठीक ढंग से खुलासा कर सकें। इसलिए मैं बताना चाहता हूं।

उपसभापतिः ठीक है, उनके बाद आप खलासा कर देना लेकिन यह प्रथा कि मंत्री बोल रहा हो और बीच बीच में उसको इंटररप्ट करें, यह नयी प्रथा मत डालिए।

श्री सतीश प्रधानः हम कभी भी मंत्री जी को ऐसे इंटररप्ट नहीं करते हैं। अभी तक कभी नही किया।

उपसभापतिः बहुत अच्छी बात है, , very good. I appreciate it

श्री सतीश प्रधानः यहां इतने किसानों ने आत्महत्या की है।...(**व्यवधान**)... सरकारी अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी है, वह गलत रिपोर्ट है, वह मैनिपुलेटेड रिपोर्ट है...(**व्यवधान**)...

श्री अजीत सिंहः महोदया, जो ये रिपोर्ट मुझे देना चाहते हैं, मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूं ये भी आकर खबर दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हम इनकी सैटिस्फैक्शन के अनुसार कोई रास्ता निकालेगे। अगर एक सदस्य को भी इस बारे में चिंता है, आपत्ति है तो हम उसका उसका जरूर समाधान निकलेगे।

श्री सतीश प्रधानः हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप वहां जांच करने के लिए कमेटी भेजिए। उसके लिए हां कहने में क्या आपत्ति है? मैं यह नहीं समझ सकता हूं कि जब यहां खड़े हुए सांसद मरने वालों की लिस्ट देकर बात कर रहे हैं। और उस विषय में जांच करने के लिए कह रहे हैं, यह भी अगर मंत्री जी नहीं मान रहे हैं तो यह मुश्किल की बात है।

उपसभापतिः ये नहीं बोल रहे हैं, आपको कैसे मालूम है? बोल रहे हैं।

श्री सतीश प्रधानः मैडम, वे नहीं मान रहे हैं।

श्री अजीत सिंहः माननीय सदस्य ने यह भी कह है की पैसा नहीं मिला था इसलिए ये आत्महत्या हुई है, यह उन्होंने बताया है। अब यह पैसा देने की जिम्मेदारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में सी सी आई के ऊपर आती है। महाराष्ट्र सरकार का प्रोक्योरमेंट अभी तक होता था। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि थोड़ा विश्वास रखें। इस सदन में जो कार्यवाही हो रही है, उसके अनूसार जरूर कोई न कोई हल निकाला जाएगा।...(**व्यवधान**)...

उपसभापतिः अभी मंत्री जी बोल रहे हैं, सतीश जी, बैठ जाइए...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधानः महोदया, मंत्री जी अगर जांच करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं सदन में नहीं बैठ पाऊंगा।

श्री संजय निरूपमः आप किसानों के बारे मे इतना कठोर दिल होकर क्यों बात कर रहे हैं?

श्री अजीत सिंहः कठोर दिल तो आपका हो रहा है...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरूपमः मैडम, अगर पूरे मामले की जांच के बारे में तत्काल कोई आश्वासन मंत्री महोदय कि तरफ़ से से नहीं मिलता है तो हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं, हमें कृषि मंत्री के बयान पर कोई आस्था नहीं हैं कोई विश्वास नहीं है।...(**व्यवधान**)...

(तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सदनत्याग कर गए)

श्री अजीत सिंहः महोदया, मैंने यह भी कहा है की यह दूसरे मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व है।...(**व्यवधान**)...

जहां तक प्रोक्योरमेट का सवाल है, इस साल महाराष्ट्र की सरकारने ऐलाऊं किया है और ccl भी प्रोक्योरमेंट कर रहा है, प्राइवेट कॉटन मिल्स को भी ऐलाऊ किया गया है और इस साल मार्केट प्राईस MSP से ज्यादा है। इसलिए हम लोग तैयार हैं और सरकार भी इसका प्रोक्योरमेट करेगी लेकिन अभी मार्केट प्राईस, MSP से 15 प्रतिशत ज्यादा है। मैं बताना चाहता

हूं कि CACP टॉप क्वालिटी काट्न का प्राईस तय करती है, बाकी के प्राईसेज एक कारपेरेशन बोर्ड हैं टैक्संटाईल मिनिस्ट्री में, वह तय करता है क्योंकि काटन की बहुत सी वैरॉयटीज हैं और पिछले 4-5 साल की रिपोर्ट मैं आपको देना चाहूंगा कि 1997-98 में प्राईस 1,530 रूपए था। 1998-99 में 1650 प्राइस हुई, 1999-2000 में 1775 हुई, 2000-2001 में 1885 और 2001-2002 में यह 1875 प्राइस प्रोक्योरमेंट कि हुई। इस साल सूखे की वजह से जिस तरह धान में 20 रूपए किया गया है कॉटन के लिए भी 20 रूपए प्रोक्योरमेंट दाम बढ़ाया गयाह है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि मार्केट प्राइस इस बार ज्यादा है इसलिए इस बार वह सवाल इतना ज्यादा नहीं है। कॉटन की क्वालिटी कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में भी कुछ सवाल उठे थे। 21 फरवरी, 2001 को प्रधान मंत्री जी ने एक टेक्नॉलोजी मिशन की घोषणा की थी। उसके अनुसार उसमें चार मिनी मिशन है। जो मिनी मिशन नं0 -1 है वह रिसर्च से कनेक्टेड उसी में आईसीएआर रिसर्च करता है। मिनि मिशन न0-2 प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है और जो मिनी मिशन नं0 -3 है वह मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए है और चौथे मिनी मिशन में जो फैक्टरीज है, उनको मॉडर्नाइस करने की स्कीम है, मिनी मिशन वन और टू आई.सी.ए.आर. और डिपार्टमेट आफ एग्रीकल्चर के हैं और उसका क्रमशः सौ प्रतिशत एंव मुख्यत 75% पैसा केन्द्र सरकार देती है। मिनी मिशन नं0-3 जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है उसमें केन्द्रीय सरकार 60 प्रतिशत प्रदेश सरकार 40 प्रतिशत पैसा देती है जो फैक्टरीज को आधुनिकीकरण करने का सवाल है उसमें 100 प्रतिशत का हिस्सा केन्द्रिय सरकार का है। तो जो आपकी चिंता थी सही चिंता है हांलाकि दुनियां में हमारा एरिया नम्बर-1 है लेकिन हम कॉटन प्रोडक्शन में नम्बर -3 है दुनियां में। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए यह मिशन हैं। बीटी कॉटन के बारे में बहुत से सवाल उठाए गए है। पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि 15 साल के टैस्ट के बाद बीटी कॉटन के मंजूरी दी गई और इसमें एक कमेटी है टेक्नीकल एक्सपर्ट की मिनिस्ट्री आफ एंवायरंमेंट के अंदर के उसमें डिपार्टमेंट आफ साइंस डिपार्टमेंट आफ हैल्थ डिपार्टमेंट आफ एग्रीकल्चर सब जगह टैस्ट होते हैं और उस पर विचार करने के बाद ही यह अनुमति दी गई है। इस पर मैं एक बात और कह दूं कि एक प्रतिशत से ज्यादा ही बीटी कॉटन की बुआई हुई है। एक लाख एकड़ सिर्फ बीटी कॉटन की बूआई हुई है और जो उसमें हमारे पास रिपोर्ट है और आई.सी.ए.आर. से टीम हर जगह भेजी थी और करीब 25 प्रतिशत उसमें उत्पदन बढ़ा है और करीब करीब 40 प्रतिशत पैस्टिसाइड का कम इस्तेमाल हुआ है। जनरली कॉटन में 9-10 बार पैस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। इस बार 5 और 6 बार हुआ है, जहां बीटी कॉटन का इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें हम मल्टीनेशनल कम्पनीज को यह इजाजत दे रहे हैं। हम किसी किसान को मजबूर नही कर रहे हैं कि वह बीटी कॉटन खरीदे। हम एक ऑप्शन दे रहे हैं। अगर वह चाहे तो खरीदे। तो इसमें किसी को मजूबूर करने का सवाल नहीं है। आई.सी.ए.आर. भी कॉटन के उपर रिसर्च कर रही है और अगले दो-तीन साल में हम आशा करते हैं कि एक जेनेटीकली मोडीफाइड कॉटन यह तो खाली बालवर्म को अफेक्ट करता है उस के लिए आई.सी.ए.आर. रिसर्च कर रहा है और अगले दो तीन साल में हो सकता है कि और भी जेनेटिकली मोडफा कॉटन आ सकता है।

इसी क्षेत्र में जो ब्याज लेने की समस्याएं हैं, यह सही बात है। हालांकि 18 प्रतिशत को जो हमने टारगेट रखा है वह अभी पूरा नही हूआ बचा हूआ है पैसा आर.आई.डी.एफ. में चला जाता है और जो कृषि क्षेत्र में ब्याज की दरें हैं उसके बार में भी चिंता है और जल्दी ही

हम नाबार्ड आर.बी.आई. और सब राज्यों के कृषि और कोआपरेटिव मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं कि हम प्रायोरिटी कृषि को कह रहे हैं तो इसमें रेट ठीक होना चाहिए, उसकी प्रकिया के बारे में जो आपने चिंता कि उसके बारे में कुछ कदम उठना चाहिए था। यह हम महसूस कर रहे हैं कि हम कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं और कृषि एक ऐसा सौदा हो गया कि इसमें पैसे की-कर्ज की ज्यादा जरूरत है क्योंकि नए-नए तरह के बीज है हैं, नए-नए तरह के इरिगेंश के तरीके हैं, उनके कॉटन बढ़ गई है। तो इस तरह से उनको कर्ज लेने की अब ज्यादा जरूरत बढ़ गई है। तो जो कोआपरेटिव हैं, जो बैंक हैं जैसा कि हमने कहा कि हम सब कृषि मंत्रियों को नाबार्ड और आर.बी.आई. के लोगों को बुलाकर इस बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं और जल्दी उसकी भी मीटिंग बुलाएंगे। बहुत जल्दी उसकी मीटिंग भी बुलायेंगे। बाकी तो मैं यही कहीं कहना चाहूगा कि शिव सेना के सदस्य जिन्होंने यह सवाल उठाया था, उन्होंने जवाब का इंतजार नहीं किया। यह चिंता का विषय है, बहुत से लोग सुसाइड करते है, खाली किसान ही नहीं करते हैं और भी लोग करते हैं। जो हमारी रिपोर्ट इस बारे में है वह यही है कि कुछ टी.वी. की वजह से हुआ कुछ साइकिक केस कि वजह से हुआ कुछ कर्ज से भी हुआ लेकिन वह कर्ज कॉटन से कनेक्टिड है, इसके बारे में सरकार का कहना था की वह सही नहीं है। धन्यवाद।

उपसभापतिः मंत्री जी,...(**व्यवधान**)...Don't put it like this.

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN : He has not replied to one very important question; Is the Government thinking of increasing the import duty?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. vlrumbi, also wanted to know that, because I could read his mind.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, the hon. Minister has just informed about the interest rate that the agriculturists are paying and said that it is going to be rationalised. He has given the assurance. But, the real' situation is, those who are getting loan from the banks under the priority sector, they are paying higher rate of interest than the corporate sector, when you rationalise the rate of interest, you should see to it that they pay a lower rate of interest than the corporate sector. That is my humble request, Madam.

श्री अजीत सिंहः मैडम चेयरपर्सन, मैंने कहा की...।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Agriculture should be treated on par with' the industry.

श्री अजीत सिंहः मैडम, चेयरपर्सन हम कोशिश यही कर रहे हैं, डिपाजिट रेट्स भी कम होते हैं जा रहे हैं। उसके साथ किसनों को जो कर्ज मिलता है वह 14 परसेंट कम से कम ब्याज पर मिलना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो डीलर सब फार्म भरकर आपके घर कार की चाबी दे जाये और साढ़े आठ परसेंट इंटरेस्ट होगा। अगर किसान ट्रेक्टर खरीदना चाहे तो उसको अपनी जमीन मार्गेज करनी पड़ती है, नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लेना पड़ता है है और 14 परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन्ही समस्याओ की वजह से हम एक मीटिंग बुला रहे हैं किसानों को जो प्रोसीजर की समस्याएं है, इंटरेस्ट रेट की समस्याएं हैं, इसीलिए हम मीटिंग बुला रहे हैं। माननीय सदस्य कि चिन्ता इसमें अच्छी है और हम इसमें सबका सहयोग भी चाहते हैं।

श्री कलराज मिश्रः यह जो कपास के किसान का पिछले तीन सत्र का बकाया है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा था उसके बारे में क्या व्यवस्था की जा रही हैं?

श्री अजीत सिंहः मैडम, जहां तक सवाल ड्यूटी का है पिछले साल वह पांच परसेंट से बढ़ाकर दस परसेंट की गई थी। इस साल जहां तक अभी तक हमारी जानकारी है। दुनिया में कॉटन की प्राइस ज्यादा है। अगर जरूरत होगी तो इसको रिव्यू किया जायेगा। हम हमेशा इसीलिए कस्टम ड्यूटी रिव्यु करते हैं कि हमारे किसान को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए हमारी जानकारी है कि वर्ल्ड प्राइसेस इस बार कॉटन की ज्यादा है, वर्ल्ड प्रोडक्शन कम है इसलिए शायद इसकी जरूरत न पड़े । फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि

हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य का सवाल तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के बारे में है क्योंकि वहा पर कॉटन नही होती है।...(**व्यवधान**)... लेकिन पूछा उन्होंने कपास के बारे में है, क्योंकि वहां पर कॉटन नहीं होती है, पहले किसी जमाने में थोड़ी बहुत हुआ करती थी अब नहीं होती है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन समस्या वहां पर पेमेंट की है। आज गन्ना किसान भी सफर कर रहा है मै यह भी कहना चाहूंगा कि हरएक चीज़ को लोग कृषि मंत्रालय से संबंधित बता देते हैं, लेकिन गन्ने का दाम और गन्ने के पेमैंट के बारे में सवाल यह खाद्य मंत्रालय के अंडर में आता है। यह एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है। कुछ माननीय सदस्य आरोप लगाने में इतने उतसाहित हो जाते हैं, वे भूल जाते हैं कि संबंधित विषय एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री में नहीं आता है। वे हरएक चीज के लिए कृषि मंत्री पर ही आरोप लगा देते हैं। इसलिए यह अभी सरकार ने, सी.सी.ए. ने तय किया है, कल खाद्य मंत्री जी ने अनाउंस भी किया था कि 20 लाख टन का हम बफर स्टाक बना रहे हैं, उससे 412 करोड़ रूपये चीनी मिलों को मिलेगा, साढ़े तीन सौ करोड़ का उनको क्रेडिट मिलेगा और एस.डी.एफ में रूल्स है, की यह पैसा किसानों के ड्यूज को देने कि लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

जहां तक माननीय कलराज मिश्र जी का कॉटन के बारे में सवाल है। पेमेंट सी.सी.आई. ने खरीदा है या फिर व महाराष्ट्र सरकार ने मॉनोपोली स्कीम के अंडर खरीदा है। किसके ऊपर बकाया है। मैं टैक्सटाइल मिनिस्टर से जरूर बात करूंगा की जहां तक

सी.सी.आई का सवाल है, वह इसमें क्या कदम उठा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार से भी जानकारी लूंगा कि वह क्या कदम उठा रही है और क्या मदद कर सकती है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Before I adjourn the House, Mr. Minister, I want to give one suggestion. Today, the whole world is going in for the use of natural fibres. This is the process that is going on. Why don't you use, हमारा टेलीविजन है, हमारे अखबार हैं, पर्यावरण मंत्रालय भी है, कि नेचूरल फाइबर के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दें और आर्टीफिशियल फाइबर के इस्तेमाल को कम करे जिससे कॉटन की उपज का अधिक इस्तेमाल हो सके?Because it is a continuing problem, it should be our policy to give money to the cotton grower, not only once; rather, the Government should start a scheme in which the NGOs can also help you. There should be a discussion on how we can use more and more cotton.

श्री अज़ीत सिंहः माननीय उपसभापति महोदया, आपका जो सुझाव है, उस पर हम जरूर विचार करेंगे। जो भी कृषि उत्पादन है, जूस है के लिए कोकोनट वाटर के लिए हम लोग कह रहे हैं कि इसका जितना ज्यादा प्रचार होगा, उतना बढ़ेगा लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि कम से कम कॉटन का कपड़ा पहनना शुरू कर दे और अगर शुरूआत यही से कर ली जाए तो अच्छी होगा।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Madam, I would like to draw the attention of the House, through you, to the business that we are going to take up immediately after the Calling Attention. Madam, you would recollect that, in the Chamber of the hon. Chairman, we had decided, and the hon. Minister of Parliamentary Affairs had agreed, that Monday and Tuesday should be devoted to legislative business, and Wednesday and Thursday should be devoted to Private Members' business. For this week, it was suggested that we should take up Gujarat, under rule 176, and the issue of West Asia, tomorrow.

Therefore, I would like to know, through you, Madam, whether they are still sticking to that arrangement that was arrived at earlier, and if they are, whether we can take up Gujarat today; the pending legislative business, which is left over from yesterday, can be taken up on the next day. This is for your kind consideration.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Madam, I support the suggestion made by Shri Pranab Mukherjee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the House so agrees...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI O. RAJAGOPAL): Madam, we. have no objection.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That's fine. The Minister, who is a part of the House, agrees. The Chair is also a part of the House.

So, after lunch, which is going to be for one hour, we will take up the issue of Gujarat.

The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at forty-eight minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at Fifty one minutes past two of the clock,

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

SHORT DURATION DISCUSSION

On the situation arising out of the recent developments in Gujarat

उपसभापतिः होम मिनिस्टर, यू हैड मेड एक स्टेटमेंट। आपने यहां हाउस में एक स्टेटमेंट दी थी उसकी क्लेरिफिकेशन भी नहीं हो पाई थी। अगर आप मुनासिब समझे, लोग उसके बारे में भी कुछ अपने भाषणों में कह दे तो आप जवाब दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)... क्योंकि अलेहदा करेंगे तो रात हो जाएगी। हम आपको रात में नही करने देगे।

उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): आप जैसा कहेंगे में वैसा करूंगा। I am entirely in your hands आप अगर इसी डिबेट में ले आते तो मैं उसको भी डील करता। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापतिः बाद में चाहे कर ले ...(**व्यवधान**)... मुझे मालूम है। I know it; I am merely saying that he is here and that issue also can be taken up today. It doesn't mean I am mixing up Gujarat and Jammu and Kashmir. To do that is beyond me. *{Interruptions)* Mr. Pranab Mukherjee, you will initiate the discussion on Gujarat. Only 37 minutes for it, but you have given me five names. We have to delete some names.